संख्या-92/2016/83/22-2-2016-17(143)/2007

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई, 2016***

विषय: सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधम सिंह नगर में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी चेतराम पुत्र श्री नत्थूलाल, निवासी जनपद-बरेली की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46821/पर-2(एम0 28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चेतराम पुत्र श्री नत्थूलाल, ग्राम-खिरिया, थाना-आवंला, जनपद-बरेली का निवासी है। लगभग 10 वर्ष पूर्व में हुयी आनन्द पाल के बाबा की हत्या का बदला लेने के लिए बन्दी के पीछे बदमाश लगाये जाने के शक के कारण बन्दी ने दिनांक 12-11-1991 सायं लगभग 05-00 बजे बन्दूक से गोली मारकर आनन्द पाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-192/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अष्टम अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 02.02-1994 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.08.2015 तक 23 वर्ष 09 माह 06 दिन की अपरिहार तथा 45 वर्ष 04 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। पुलिस अधीक्षक, बरेली ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि अभियुक्त का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के पारिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत बन्दी समयपूर्व रिहाई का विरोध किया है। जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व में हुयी आनन्द पाल के बाबा की हत्या का बदला लेने के लिए बन्दी के पीछे बदमाश लगाये जाने के शक के कारण बन्दी ने दिनांक 12-11-1991 सायं लगभग 05-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

00 बजे बन्दूक से गोली मारकर आनन्द पाल की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी चेतराम पुत्र श्री नत्थूलाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी चेतराम पुत्र श्री नत्थूलाल, निवासी जनपद-बरेली की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-92/2016/83/(1)/22-2-2016 तद्वदिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।

2- अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधम सिंह नगर।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।